बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
4/निदे0 छात्रावास (अनुदान)–145–04/2025– 2907
12/05/2026

संकल्प

विषय–"मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के डॉ0 अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को 01 अप्रैल, 2026 से प्रति छात्र/छात्रा ₹2000/–(दो हजार रू0) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति के संबंध में।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में आवासित होकर अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन–पाठन हेतु टेबल–कुर्सी, खाना बनाने हेतु बर्तन एवं रसोईया इत्यादि की सुविधा दी जा रही है।

2–राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य एवं छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छात्र/छात्राओं को छात्रावास अनुदान दिया जाता है।

3–सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के डॉ0 अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को 01 अप्रैल, 2026 के प्रभाव से प्रति छात्र/छात्रा ₹2000/–(दो हजार रू0) की दर से छात्रावास अनुदान की स्वीकृति दी जाती है।

4– इस योजना के लिए व्यय राज्य स्कीम के मांग सं0–44 अनुसूचित जाति के लिए मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उपशीर्ष 0101–शिक्षा, विषय शीर्ष–0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तियां, विपत्र कोड–44–2225012770101 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उपशीर्ष–0101–शिक्षा, विषय शीर्ष–0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तियां, विपत्र कोड–44–2225022770101 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12.05.26

(संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–04/निदे0 छात्रावास (अनुदान)–145–04/2025–2907 पटना, दिनांक–12/05/2026

प्रतिलिपिः–हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने हेतु अग्रसारित।

12.05.26

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–04 / निदे0 छात्रावास (अनुदान)–145–04 / 2025–2907 पटना, दिनांक– 12/05/2026

प्रतिलिपिः–हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.05.26

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–04 / निदे0 छात्रावास (अनुदान)–145–04 / 2025–2907 पटना, दिनांक– 12/05/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.05.26

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–04 / निदे0 छात्रावास (अनुदान)–145–04 / 2025– 2907 पटना, दिनांक– 12/05/2026

प्रतिलिपिः–सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.05.26

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–04 / निदे0 छात्रावास (अनुदान)–145–04 / 2025–2907 पटना, दिनांक– 12/05/2026

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार / सभी विकास आयुक्त, बिहार / सभी विभाग के सचिव, बिहार / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार / सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण, बिहार / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, बिहार / आई०टी० मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.05.26

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–04 / निदे0 छात्रावास (अनुदान)–145–04 / 2025–2907 पटना, दिनांक– 12/05/2026

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

11.05.26

सरकार के सचिव